बढ़ी हुई तिथि एवं डाटा संशोधन/अपलोड करने के सम्बन्ध में समस्त प्रधानाचार्यों के लिये अत्यावश्यक विशेष निर्देश

प्रदेश में आयी भीषण बाढ़ के दृष्टिगत हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट (संस्थागत तथा व्यक्तिगत) परीक्षा वर्ष 2017 के परीक्षा आवेदनों को एवं शैक्षिक सत्र 2016–17 के कक्षा–9/11 के पंजीकरण आवेदनों को आनलाइन करने से छूटे हुये छात्र/छात्राओं के **परीक्षा शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के जमा करने** एवं उनके **आवेदनों को आनलाइन अपलोड करने** की तिथि को बढ़ाकर शासन द्वारा निम्नवत निर्धारित कर दिया गया है :–

		निर्धारित तिथि
1–	हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट (संस्थागत एवं व्यक्तिगत) परीक्षा वर्ष 2017	– 08 सितम्बर से 22 सितम्बर तक
2–	सत्र 2016–17 के कक्षा–9/11 के छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण।	– 08 सितम्बर से 07 अक्टूबर तक

नोट :– उक्त निर्धारित तिथियों के मध्य ही समस्त छूटे हुये छात्र/छात्राओं के शुल्क को कोषागार में जमा करने, उनके विवरणों को ऑनलाइन करने, चेकलिस्ट निकालने एवं उनकी सघन जांच करने, समस्त छात्र/छात्राओं के विवरणों में यथा आवश्यक संशोधन करने, एवं बोर्ड को अन्तिम रूप से डाटा सबमिट कर नामावली निकालने की समस्त कार्यवाही की जायेगी। उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात वेबसाइट स्वतः बन्द हो जायेगी।

डाटा संशोधन/अपलोड करने हेतु अत्यन्त आवश्यक एवं विशेष निर्देश –

समस्त प्रधानाचार्यों को विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है आप द्वारा छात्र/छात्राओं का जो भी डाटा ऑनलाइन अपलोड किया जाता है उस डाटा का वेबसाइट पर अपलोड हो जाने या बोर्ड को डाटा सबमिट हो जाने का यह अभिप्राय बिल्कुल नही है कि बोर्ड ने उस डाटा को स्वीकार कर लिया है अथवा वह डाटा बिल्कुल शुद्ध एवं प्रमाणिक है। ***वेबसाइट पर जो भी डाटा प्रधानाचार्यों द्वारा अपलोड किया जाता है वह पूर्णतया अन्तरिम होता है।*** इस डाटा में परिषद द्वारा जांचोपरान्त किसी भी समय एवं किसी भी स्तर पर तथ्यगोपन कर अनर्ह/फर्जी छात्र–छात्राओं के विवरणों को अपलोड करने की यदि कोई स्थिति प्रकाश में आयेगी तब उसी समय तत्काल सम्बन्धित परीक्षार्थी का अभ्यर्थन एवं उसका विवरण बिना कारण बताये परिषद द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा, तथा इसके साथ ही साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य को तथ्यगोपन कर फर्जी डाटा अपलोड करने के कृत्य का दोषी मानते हुये उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही साथ विद्यालय को भी डिबार करने/उसकी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

अस्तु उक्त स्थितियों के आलोक में समस्त प्रधानाचार्यों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि यदि उन्होनें वर्ष 2017 की संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षा के लिये परिषदीय विनियमानुसार अनर्ह एक भी अभ्यर्थी का विवरण तथ्यों को छिपाकर फर्जी तरीके से अपलोड कर दिया है तो वे उसे तत्काल समय रहते डिलीट कर दें जिससे प्रधानाचार्य को एवं विद्यालय को उक्तानुसार किसी विपरीत स्थिति का सामना न करना पड़े, अन्यथा इससे उत्पन्न हुई किसी भी विषम स्थिति के लिये प्रधानाचार्य स्वयं उत्तरदायी होगें।

प्रधानाचार्यों द्वारा चेकलिस्ट की निम्नांकित प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर पूरी सतर्कता एवं गम्भीरता से जांच की जाय तथा वांछित संशोधनों को वेबसाइट पर समयान्तर्गत अपलोड कराया जाय :–

1– चेकलिस्ट के अन्तिम पृष्ठ पर अंकित बालक एवं बालिका छात्र/छात्राओं की संख्या बिल्कुल सही होनी आवश्यक है।

2– चेकलिस्ट में एक भी छात्र/छात्रा का नाम डुप्लीकेट मुद्रित नहीं होना चाहिये और न ही किसी भी छात्र/छात्रा का विवरण आनलाइन अपलोड होने से छूटना चाहिये। प्रायः यह देखा गया है कि विद्यालयों द्वारा सतर्कता से आनलाइन फीडिंग न करने के कारण उनके कतिपय छात्र/छात्राओं के विवरण अपलोड होने से छूट जाते हैं और कतिपय के विवरण डुप्लीकेट हो जाते हैं इस प्रकार कुल छात्र संख्या समान हो जाने पर वे सन्तुष्ट हो जाते हैं कि उनके सभी छात्र/छात्राओं के विवरण आनलाइन अपलोड हो गये हैं जबकि डुप्लीकेसी के कारण कुछ छात्र/छात्राओं के विवरण अपलोड होने से छूटे ही रह जाते हैं। लापरवाही के कारण ऐसे छूटे हुये छात्र/छात्राओं के विवरण नामावली बन जाने एवं बोर्ड को डाटा सबमिट हो जाने के पश्चात आनलाइन अपलोड नही हो पाते हैं जिससे ऐसे छूटे हुये छात्र/छात्रा बोर्ड परीक्षा देने से वंचित हो जाते हैं।

अतः ऐसी गम्भीर त्रुटि न होने पाये इस हेतु नामावली निकालने से पूर्व कई बार चेकलिस्ट निकलवाकर ऐसी त्रुटियों की सतर्कता से एवं गम्भीरता से बारम्बार जांच कराई जाय। और इस प्रकार के छूटे हुए छात्र/छात्राओं के विवरण समयान्तर्गत वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जांय।

3– प्रायः यह भी देखा गया है कि कक्षा–9 से कक्षा–10 में तथा कक्षा–11 से कक्षा–12 में आये छात्र/छात्राओं के विवरण फाइनल करते समय समान नाम वाले अथवा मिलते जुलते नाम वाले कतिपय ऐसे रेगुलर अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं के विवरण डिलीट कर दिये जाते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिये था और कतिपय ऐसे छात्र/छात्रा जो कक्षा–9/11 में फेल हो गये हैं अथवा स्कूल छोड़ चुके हैं उनके विवरण अग्रसारित कर दिये जाते हैं। जिससे नियमित अध्ययनरत वास्तविक छात्र/छात्रा विद्यालय की लापरवाही के कारण परीक्षा देने से वंचित हो जाते हैं।

अतः ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति बिल्कुल न हो इस हेतु विद्यालय के अभिलेखों से यथा उपस्थित पंजिका आदि से चेकलिस्ट की पूरी गम्भीरता एवं सतर्कता से जांच कराई जाय। इसकी जांच सम्बन्धित कक्षाध्यापक से एवं व्यकितगत रुप से नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके सम्बन्धित छात्र/छात्राओं से भी अनिवार्य रूप से कराई जाय और वांछित संशोधनो को वेबसाइट

पर अविलम्ब अपलोड कर डाटा संशोधित कर लिया जाय जिससे किसी भी छात्र/छात्रा के विवरण छूट जाने अथवा उनके शैक्षिक विवरणों में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाने जैसी गम्भीर त्रुटि बिल्कुल ही न होने पाये।

4— छात्र/छात्राओं का केवल उन्ही विषयों/वर्गों से आवेदन आनलाइन किया जाय जिन विषयों/वर्गो की विद्यालय को परिषद द्वारा विधिवत मान्यता मिल चुकी है। जिन विषयों की विद्यालय को मान्यता नहीं मिली है अथवा उनका प्रकरण मान्यता हेतु अभी परिषद में लम्बित चल रहा है उन विषयों से यदि त्रुटिवश एक भी छात्र/छात्रा का आवेदन आनलाइन कर दिया हो तो उसे तत्काल डिलीट कर दें अथवा उसके विषयों को सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सहमति से विद्यालय में मान्य विषयों से संशोधित कर दें। अमान्य विषयों से आनलाइन आवेदन करना प्रधानाचार्य की जानबूझ कर की गई गंभीर त्रुटि मानी जायेगी।

5— कक्षा–9, 10, 11 एवं 12 के समस्त छात्र/छात्राओं की सुस्पष्ट एवं सही फोटो अपलोड की जाय। किसी भी छात्र/छात्रा की एक भी फोटो न तो मिसिंग हो, न ही डुप्लीकेट हो और न ही वह धुँधली या अस्पष्ट हो। फोटो न लगी होने अथवा उनके अस्पष्ट होने की स्थिति मे समयन्तर्गत सुस्पष्ट एवं सही फोटो अपलोड कर दें अन्यथा स्थिति में पहचान स्पष्ट न होने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा को बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। प्रधानाचार्यगण यह विशेष रुप से नोट कर लें कि आगामी वर्ष से किसी भी छात्र/छात्रा की मिसिंग फोटो को बाद में अपलोड करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इस वर्ष बढ़ी हुई तिथि के कारण समय पर्याप्त है अस्तु बोर्ड परीक्षा–2017 एवं सत्र 2016–17 के कक्षा–9/11 के पंजीकरण हेतु आनलाइन किये गये समस्त छात्र/छात्राओं की सुस्पष्ट फोटो समयान्तर्गत एवं शतप्रतिशत अपलोड कर दी जांय। अन्यथा पहचान के अभाव में इस प्रकार के मिसिंग फोटो वाले सभी छात्र/छात्राओं के विवरणों को निरस्त करते हुए उन्हें इस वर्ष की एवं आगामी वर्ष की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

6— हाईस्कूल एव इण्टरमीडिएट में सीधे प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र तथा पंजीकरण कार्ड आदि बिल्कुल प्रामाणिक एवं सही होना आवश्यक है। इन अर्हता संम्बन्धी समस्त प्रपत्रों को छात्र/छात्राओं की वेबसाइट से निकाली गई नामावली के साथ संलग्न करके जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से निर्धारित तिथि के अन्दर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट वर्ष 2003 से वर्ष 2006 के फेल छात्र/छात्राओं के प्रमाणपत्र एवं अंकपत्र की जांच तो विशेष सतर्कता एवं गम्भीरता से कराई जाय। यद्यपि वर्ष 2003 से वर्ष 2006 के फेल हुए किसी छात्र/छात्रा को अब 12 से 13 साल बाद सत्र 2016–17 में अस्वाभाविक रुप से पुनः संस्थागत छात्र/छात्रा के रुप में प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यालय में प्रवेश देना और उनका परीक्षा आवेदन आनलाइन कराना किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। **प्रधानाचार्यगण ऐसे अस्वाभाविक एवं फर्जी छात्र/छात्राओं के विवरणों को वेबसाइट से समयान्तर्गत स्वतः डिलीट कर दें, अन्यथा परिषदीय अभिलेखों से जांच कराये जाने पर यदि इस प्रकार के एक भी छात्र/छात्रा का विवरण एवं उसके माता–पिता का नाम तथा जन्मतिथि आदि परिषदीय अभिलेखों में अंकित विवरणों से भिन्न/फर्जी पाया जायेगा तो समबन्धित छात्र/छात्रा के विवरण को बिना कारण बताये परिषद द्वारा स्वतः डिलीट कर दिया जायेगा तथा इसके साथ ही साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य को तथ्यगोपन करके फर्जी विवरण अपलोड करने का दोषी मानते हुये उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा विद्यालय को भी डिबार कर उसकी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।**

इसी प्रकार संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने हेतु जिन छात्र/छात्राओं ने वाह्य बोर्ड के कक्षा–9/11 उत्तीर्ण अथवा कक्षा–10/12 अनुत्तीर्ण का अर्हता सम्बन्धी अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र आदि लगाया है उनकी भी सम्बन्धित बोर्डों से परिषद द्वारा जांच कराई जायेगी, तथा जांचोपरांत फर्जी पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के परिषद द्वारा स्वतः डिलीट कर दिया जायेगा।

अस्तु यदि इस प्रकार के किसी अनर्ह/फर्जी छात्र–छात्रा के विवरण प्रधानाचार्य द्वारा तथ्य गोपन करके अपलोड कर दिये गये हों तो उन्हें समय रहते वेबसाइट से तत्काल डिलीट कर दें अन्यथा उक्तानुसार उत्पन्न हुई किसी विपरीत स्थिति के लिये प्रधानाचार्य स्वयं पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगें।

7— कक्षा–11 के अग्रिम पंजीकरण एवं कक्षा–12 के विवरणों में छात्र का हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं अनुक्रमांक अवश्य अपलोड किया जाय।

8— एकवर्षीय/दो वर्षीय पत्राचार में पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं की पत्राचार पंजीकरण संख्या यदि वह गत वर्ष अनुदानित है तो **12 अंकीय** और यदि इस वर्ष 2016 में अनुदानित है तो **14 अंकीय** संख्या अपलोड करना आवश्यक है। पत्राचार पंजीकरण संख्या उक्तानुसार पूर्णरूप में न डालने अथवा गलत डालने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन फर्जी मानते हुए परिषद द्वारा बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।

इस वर्ष 01 अप्रैल 2016 से जिन छात्र/छात्राओं का दो वर्षीय पत्राचार पंजीकरण कराया गया है वे छात्र/छात्रा वर्ष 2017 की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा में ही सम्मिलित नहीं हो सकेगें। पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा 2017 की विवरण पत्रिका में पृष्ठ संख्या–11 पर संलग्न पत्रांकः पत्राचार 1186–1726/2015–16 दिनांकः 10–08–15 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि दिनांकः 01–09–2015 से 31–12–2015 के मध्य दो वर्षीय पत्राचार हेतु पंजीकरण करा चुके छात्र/छात्रा ही वर्ष 2017 की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं तथा **दिनांकः 01–04–2016 से 31–12–2016 तक दो वर्षीय पत्राचार में पंजीकरण कराने वाले छात्र/छात्रा वर्ष 2018 की परीक्षा में ही बैठने के पात्र होगें।**

अतः उक्तानुसार वर्ष 2016 में दो वर्षीय पत्राचार में पंजीकरण कराने वाले ऐसे समस्त छात्र/छात्राओं के विवरणों को जिनका प्रधानाचार्यों द्वारा तथ्यगोपन करके वर्ष 2017 की परीक्षा के लिये अनाधिकृत रूप से परीक्षा आवेदन भी भरवा दिया गया है ऐसे अनाधिकृत छात्र/छात्राओं के विवरणों को परिषद की वेबसाइट से तत्काल डिलीट करा दिया जाय। अन्यथा परिषद द्वारा इन्हें बिना कारण बताये डिलीट कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

9— वेबसाइट पर कक्षा–9/11 के आनलाइन पंजीकरण के साथ ही साथ विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक विवरणों को संशोधित करने, नये अध्यापकों के एवं आपके ही विद्यालय से पूर्व में अवकाश प्राप्त किये अध्यापकों के विवरणों को जोड़ने तथा विद्यालय छोड़ चुके अध्यापकों के विवरणों को डिलीट करने की कार्यवाही भी गतिमान है। अतः वेबसाइट से अविलम्ब अध्यापकों की चेकलिस्ट निकलवाकर यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके विद्यालय में कार्यरत समस्त अर्ह अध्यापकों के, एवं विवरण अपलोड करने हेतु आवेदन करने वाले विद्यालय के ही पूर्व में अवकाश प्राप्त कर चुके कतिपय अन्य अध्यापकों के समस्त शैक्षिक विवरण बिल्कुल शुद्ध रुप में परिषद की वेबसाइट पर अपलोड हो जांय। गत वर्ष कई नियमित अध्यापकों के अध्यापन के विषय, अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग में उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं उनके स्नातक तथा परास्नातक के विषय आदि विभिन्न अनिवार्य विवरण अंकित ही नहीं किये गये थे। अस्तु अनिवार्य रुप से एक बार अध्यापकों की चेकलिस्ट निकलवाकर इसकी पूर्णरुपेण गहन जांच करा लें एवं अशुद्धियों का समयान्तर्गत निराकरण कर लें। कतिपय विद्यालयों द्वारा व्यावसायिक विषयों के मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों का नाम अपलोड न करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। यह उचित नहीं है। अस्तु मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक विषयों के शिक्षकों का नाम भी अन्य नियमित शिक्षकों की भांति अवश्य अपलोड कराया जाय।

किसी भी शिक्षणेत्तर कर्मचारी का नाम अध्यापकों के विवरण के साथ बिल्कुल अपलोड न करें। यदि पूर्व में आप द्वारा तथ्यो को छिपा कर अथवा त्रुटिवश ऐसे किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी यथा–क्लर्क, चपरासी, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक, गेम्स टीचर आदि के नाम अपलोड कर दिये गये हों तो उन्हे अविलम्ब डिलीट कर दें।

10— विद्यालयों से परिषद के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु यह आवश्यक है कि वेबसाइट पर 'विद्यालय के विवरण' में विद्यालय की ई–मेल आई0डी0 एवं प्रधानाचार्य का मोबाइल नम्बर बिल्कुल सही सही अपलोड कर दिया जाय। यदि विद्यालय की ई–मेल आई0डी0 आपने अभी तक नहीं बनाई है तो उसे तत्काल बनवाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

11— 'विद्यालय के विवरण' के अन्तर्गत मांगी समस्त सूचनायें बिलकुल प्रामाणिक एवं शुद्ध रुप में अंकित की जांय। विशेषकर विद्यालय किस स्तर का है–हाईस्कूल/इण्टर, उसका हाईस्कूल–इण्टर स्तर पर प्रकार/प्रस्थिति– शासकीय/वित्तपोषित/वित्तविहीन विद्यालय, विद्यालय बालक विद्यालय के रुप में मान्यता प्राप्त है अथवा बालिका विद्यालय के रुप में, विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, एवं विद्यालय में मान्य विषय एवं वर्गों की सूचनायें प्रायः प्रामाणिक एवं सही रुप में नहीं दी जा रहीं हैं। यह अत्यन्त खेदजनक है। आप द्वारा दी गई यदि इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के आधार पर शासन एवं परिषद द्वारा ऐसा कोई निणर्य लिया जाता है जो विद्यालय के प्रतिकूल होगा तो इसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व प्रधानाचार्य का ही होगा। अस्तु आपको विशेष रुप से निर्देशित किया जाता है कि वेबसाइट पर –'विद्यालय के विवरण' के अन्तर्गत मांगी जाने वाली समस्त सूचनाओं का एक बार पुनः परीक्षण कर लें तदोपरांत विद्यालयी अभिलेखों के आधार पर बिलकुल प्रामाणिक एवं शुद्ध सूचनायें ही अंकित करें।

12— इस वर्ष से कक्षा–9 एवं 11 के छात्र/छात्राओं के आनलाईन पंजीकरण में दो नवीन सूचनायें यथा छात्र/छात्रा अल्पसंख्यक समुदाय का है या नहीं तथा छात्र/छात्रा का मोबाइल नम्बर मांगी गई हैं। ये दोनो सूचनायें भी विशेष ध्यान देकर शुद्ध रुप से एवं शतप्रतिशत अंकित करायी जांय।

13— **विद्यालय में सम्यक पठन–पाठन के दृष्टिगत कक्षा–9/11 में मान्यता के मानकों के विपरीत एवं विद्यालय में मान्य कक्षाओं के विपरीत मानक से अधिक छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं उनका आनलाइन पंजीकरण कदापि न किया जाय।**

नोटः— वेबसाइट से नामावली तभी निकलवायें जब आप इसके पूर्व वेबसाइट से डाउनलोड की गई चेकलिस्ट की कई कई बार सतर्कता से गहन जांच करके संतुष्ट हो जांय कि अब किसी भी छात्र/छात्रा के विवरणों में एवं उनकी फोटो आदि में कोई त्रुटि अवशेष नहीं है, किसी भी छात्र/छात्रा का विवरण न तो डुप्लिकेट है और न ही किसी का विवरण अपलोड होने से छूटा है। छात्र/छात्राओं के विवरणों की एवं फोटो आदि की जांच करने हेतु आप चाहे जितनी बार वेबसाइट से चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और संशोधन आदि की कार्यवाही कर सकते हैं। नामावली निकलने के पश्चात समस्त डाटा बोर्ड को सबमिट हो जाता है और वेबसाइट स्वतः लॉक हो जाती है। जिससे फिर आप किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं कर पायेंगे।

.....